

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित जून, 2022 माह का मासिक सारांश।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) में प्रगति

14,64,517 परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1,509.64 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण चरण- II (एसबीएम (जी) में प्रगति

1,66,983 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 1,925 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 17.77 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

ठोस/तरल कचरा प्रबंधन और ओडीएफ प्लस से कवर किए गए गांव

जून, 2022 के दौरान 7,071 गांवों को ठोस कचरा प्रबंधन से कवर किया गया है जबकि 7,724 गांवों को तरल कचरा प्रबंधन के तहत कवर किया गया है। साथ ही, जून, 2022 के दौरान 9,502 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया है।

जल जीवन मिशन की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा

जेजेएम के कार्यान्वयन की प्रगति में तेजी लाने के लिए 13 फोकस राज्यों (अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के साथ भुवनेश्वर में 8 जून, 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी क्योंकि ज्यादातर शेष नल जल कनेक्शन इन्हीं राज्यों में है।

जेजेएम के संबंध में राष्ट्रीय कार्यशाला

आयोजना, समय-बद्ध कार्यान्वयन, गुणवत्ता तथा प्रमाणीकरण और पूर्ण कार्यों के ओ एंड एम पर विशेष जोर देने के साथ अनुभव साझा करने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग/पीएचईडी के प्रभारी सचिवों, मिशन निदेशकों और जेजेएम के मुख्य अभियंताओं के साथ भुवनेश्वर में 9-10 जून, 2022 को "जेजेएम संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला" का आयोजन किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और सचिव, डीडब्ल्यूएस ने संयुक्त रूप से एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव और ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी मिशन निदेशकों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज प्रभारी एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव के साथ दिनांक 21.6.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसबीएम (जी) के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की।

गोबरधन की प्रगति की समीक्षा

सभी हितधारकों के लक्ष्यों के संबंध में परिणाम/प्रगति की समीक्षा करने हेतु गोबरधन संबंधी अंतर-मंत्रालयी कार्य बल की तीसरी बैठक 24 जून, 2022 को आयोजित की गई थी जिसमें एमएनआरई, एमओपीएनजी, डीएसटी, डीसीएएफडब्ल्यू, डीओएफ, आईसीएआर, डीएचडी, डीओआरडी, एमओईएफएण्डसीसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक राज्य-वार बैठक आयोजित की गई।

जेजेएम के कार्यों के लिए केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त मंजूरीयों की समीक्षा

केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों जैसे एमओईएफ एंड सीसी, रेलवे, एनएचएआई, गेल आदि से त्वरित मंजूरीयों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए, ऑनलाइन तंत्र बनाया गया है जिसमें राज्य जल जीवन मिशन योजनाओं की अपेक्षित मंजूरीयों के विवरण अपलोड कर रहे हैं तथा डीडीडब्ल्यूएस द्वारा और सचिव, डीडब्ल्यूएस के अनुरोध पर शामिल प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/एजेंसी द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सचिव, एमओईएफएण्डसीसी और सचिव, डीडब्ल्यूएस ने संयुक्त रूप से राज्यों के अधिकारियों के साथ 14 जून को वन संबंधी मंजूरीयों की स्थिति की समीक्षा की। इसी तरह की समीक्षा रेल मंत्रालय के साथ 29.6.2022 को एएस एंड एमडी, जेजेएम के स्तर पर की गई थी।

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों(एसपीएमयू) (एनआईसी, एमओपीआर) का उन्मुखीकरण

योजनाओं में संशोधन करने और 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में इसे प्रस्तुत करने के लिए अद्यतन प्रावधानों के संबंध में राज्य/जिला अधिकारियों और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) (एनआईसी, एमओपीआर) का उन्मुखीकरण वीसी के माध्यम से 2 और 27 से 29 जून, 2022 को आयोजित किया गया था। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल लगभग 3200 व्यक्तियों ने भाग लिया।

क्षेत्र दौरे

6-8 जून, 2022 के दौरान, डीडीडब्ल्यूएस के अधिकारियों/परामर्शदाताओं की टीमों ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनिंदा जिलों के गांवों के क्षेत्रीय दौरे किए ताकि ओडीएफ प्लस घोषणा की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके और विशेष रूप से बड़े गांवों में सुजलाम और एसएलडब्ल्यूएम के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।
